भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3641
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

मद्रास उच्च न्यायालय की अनुशंसा

3641. कु. सुधा आर. :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित, उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुमोदित और केंद्र सरकार को भेजे गए उम्मीदवारों की नियुक्ति 2014 से अब तक लंबित रखी गई है ;

(ख) यदि हां, तो मद्रास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद प्रत्येक उम्मीदवार की नियुक्ति को रोके रखने के क्या कारण हैं ;

(ग) संबंधित उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा मंजूरी दिए जाने और नियुक्ति के लिए भेजे जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा 2014 से लंबित रखी गई उम्मीदवारों की नियुक्ति का उच्च न्यायालय-बार ब्यौरा क्या है ;

(घ) प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में रिक्तियों कितनी हैं ; और

(ङ) केंद्र सरकार के पास न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की लंबित सूचियों का उच्च न्यायालय-वार ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : उच्चतम न्यायालय की 28 अक्तूबर, 1998 की सलाहकारी राय (तृतीय न्यायाधीश मामले) के साथ पठित 6 अक्तूबर, 1993 (द्वितीय न्यायाधीश मामले) के निर्णय के अनुसरण में 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन तथा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है

प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावों को आरंभ करने का उत्तरदायित्व संबद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति में निहित होता है। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालयों को रिक्ति होने से कम से कम 06 महीने पूर्व सिफारिशें करना आवश्यक है। तथापि, उच्च न्यायालयों द्वारा इस समय-सीमा का शायद ही पालन किया जाता है। उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों के लिए, संबंधित राज्य सरकारों के विचार प्रक्रिया ज्ञापन के अनुसार प्राप्त किए जाते हैं। विचाराधीन नामों के संबंध में सरकार को उपलब्ध अन्य रिपोर्टों के आलोक में भी सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय कॉलिजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिश को तब सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को अग्रेषित किया जाता है। केवल

उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है जिनके नामों की सिफारिश राज्य स्तरीय समिति द्वारा की गई है। उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केन्द्र दोनों स्तरों पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन अपेक्षित है। अतः उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित समय नहीं बताया जा सकता है।

17.03.2025 तक, मद्रास उच्च न्यायालय में 75 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के मुकाबले 65 न्यायाधीश कार्यरत हैं । मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 03 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

17.03.2025 तक, उच्च न्यायालयों में 1122 न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या के मुकाबले 766 न्यायाधीश कार्यरत हैं । उच्च न्यायालय कोलेजियम से 188 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी प्राप्त होनी हैं । उच्च न्यायालय-वार रिक्तियों की स्थिति उपाबंध पर दी गई है।

****

उपाबंध

17.03.2025 को यथास्थिति

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियां:

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
1	इलाहाबाद	160	79	81
2	आंध्र प्रदेश	37	30	7
3	बम्बई	94	66	28
4	कलकत्ता	72	46	26
5	छत्तीसगढ़	22	16	6
6	दिल्ली	60	39	21
7	गुवाहाटी	30	25	5
8	गुजरात	52	32	20
9	हिमाचल प्रदेश	17	12	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	25	15	10
11	झारखंड	25	16	9
12	कर्नाटक	62	50	12
13	केरल	47	44	3
14	मध्य प्रदेश	53	34	19
15	मद्रास	75	65	10
16	मणिपुर	5	4	1
17	मेघालय	4	4	0
18	उड़ीसा	33	18	15
19	पटना	53	37	16
20	पंजाब और हरियाणा	85	53	32
21	राजस्थान	50	34	16
22	सिक्किम	3	3	0
23	तेलंगाना	42	30	12
24	त्रिपुरा	5	5	0
25	उत्तराखंड	11	9	2
	कुल	**1122**	**766**	**356**

****